छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 20–95/04/ 11/6 रायपुर दिनांक 6/5/05

प्रति,

1–उद्योग आयुक्त,
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

4709
7/5/05

2– प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो0लि0
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः– औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूमि पर प्रीमियम में छूट/रियायत ।

संदर्भः– औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ट 4 का बिन्दु क्रमांक 06

राज्य शासन व्दारा उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरशन व्दारा संधारित औद्योगिक क्षेत्रों में उपाबंध–1 में दर्शायें गये उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार प्रयोजन हेतु भू–प्रीमियम में निम्नानुसार रियायत दिये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क्र0	उद्योग का स्वरूप	क्षेत्र, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है/ स्थापित होंगें	उद्योगों की श्रेणी	सामान्य वर्ग के निवेशक	अप्रवासी भारतीय व शत–प्रतिशत एफ0डी0आई0 वाले निवेशक	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निवेशक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	लघु एवं मध्यम–वृहद्	श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र– रायपुर, धमतरी, महासमुंद,बिलासपुर जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	अ–सामान्य उद्योग ब–विशेष थ्रस्ट उद्योग	निरंक 50 प्रतिशत	निरंक 55 प्रतिशत	100 प्रतिशत 100 प्रतिशत

ID
6/5

		श्रेणी ब– अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	अ–सामान्य उद्योग ब–विशेष थ्रस्ट उद्योग	50 प्रतिशत 50 प्रतिशत	55 प्रतिशत 55 प्रतिशत	100 प्रतिशत 100 प्रतिशत
2.	मेगा प्रोजेक्ट एवं अतिवृहद् उद्योग	श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र– रायपुर, धमतरी, महासमुंद,बिलासपुर जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	अ–सामान्य उद्योग ब–विशेष थ्रस्ट उद्योग	50 प्रतिशत 50 प्रतिशत	55 प्रतिशत 55 प्रतिशत	100 प्रतिशत 100 प्रतिशत
		श्रेणी ब– अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	अ–सामान्य उद्योग ब–विशेष थ्रस्ट उद्योग	50 प्रतिशत 50 प्रतिशत	55 प्रतिशत 55 प्रतिशत	100 प्रतिशत 100 प्रतिशत

2. उपरोक्त रियायत निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

2.1– उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करना होगा ।

2.2– लघु उद्योगों के प्रकरणों में भू–आधिपत्य प्राप्त होने के दिनांक से 2 वर्ष के भीतर तथा लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में 5 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा । परन्तु प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर राज्य शासन व्दारा इस समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी ।

2.3– यदि रियायत दिये जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई ने उक्त रियायत गलत तथ्य/ प्रमाण प्रस्तुत कर प्राप्त कर ली है तो रियायत की राशि 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित, भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य, वसूल की जावेगी । वसूली योग्य राशि औद्योगिक इकाई को प्राप्त होने वाले अन्य वित्तीय/ कराधान सुविधाओं/ छूट में भी समायोजित की जा सकेगी ।

2.4– आवेदक इकाई को उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के लिये यथा स्थिति छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड या महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ एक करार (एग्रीमेन्ट), स्वयं के व्यय पर निष्पादित व पंजीकृत कराना होगा ।

2.5– किसी भी विवाद पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

स्पष्टीकरण इन नियमों के प्रयोजन हेतु

(एक) "नवीन औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11.2004 या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र या वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(दो) "विद्यमान औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने औद्योगिक नीति 2004–09 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो व इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र /वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(तीन) "विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार" से अभिप्रेत नियत दिनांक के पश्चात राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करके न्यूनतम 25 करोड़ रू0 स्थायी पूंजी निवेश करते हुए अपनी स्थापित मूल क्षमता या 3 वर्षो के औसत उत्पादन, जो अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है,

(चार) "लघु उद्योग इकाई" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(पांच) "मध्यम – वृहद औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसका सकल स्थायी पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लघु उद्योगो हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक, किन्तु रू. 100 करोड़ से कम हो, भारत सरकार से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन., औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(छः) "मेगा प्रोजक्ट" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए दिनांक 1 नवंबर 2004 के पश्चात उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा भारत सरकार के उद्योग मत्रांलय से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन , औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त कर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(सात) अति वृहद उद्योग– से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके औद्योगिक उपक्रम के परिसर में किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं उद्योग के लिये आवश्यक अधोसंरचना लागत की कुल राशि रूपये 1000 करोड़ से अधिक है

(आठ) "सामान्य उद्योग" से अभिप्रेत एवं इसमें सम्मिलित है, जो विशेष थ्रस्ट उद्योग एवं औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ठ –2 में सम्मिलित नहीं है

(नौ) "विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग" से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है,

1– हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण
2– आटोमोबाईल,आटो कंपोनेन्ट्स, स्पेयर्स तथा साइकिल उद्योग
3– प्लांट / मशीनरी / इंजीनियंरिंग स्पेयर्स निर्माण
4– एल्यूमीनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
5– खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/ सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)
6– मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद
7– फार्मेस्यूटिकल उद्योग
8– व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता उत्पाद
9– अपरंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन
10– सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी
11– ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

(दस) "अपात्र उद्योग" से अभिप्रेत है औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ठ–2 में उल्लिखित उद्योग,

(ग्यारह) "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रुप में अधिसूचित जाति,

(बारह) "अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/ स्थापित उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाए या स्थापित की जानी प्रस्तावित हो, तथा भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कंम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों,

(तैराह) "प्रभावी कदम" से अभिप्रेत, निम्नलिखित कार्रवाईयां पूर्ण करने से है –

क. इकाई ने भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया हो,

ख इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार शेड–भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो , तथा

ग इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी का पक्का क्रय आदेश दे दिया हो

(चौदह) कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारियों की वही परिभाषा मान्य की जावेगी जो राज्य शासन द्वारा समय –समय पर जारी की जावे ।

(पन्द्रह) अनिवासी भारतीय की वही परिभाषा मान्य होगी जो भारत सरकार द्वारा समय –समय पर जारी की जावे।

(सोलह) शत –प्रतिशत एफडीआई वाले निवेशक की वही परिभाषा मान्य होगी जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की जावे व जिसे भारत सरकार द्वारा वांछित अनुमति प्रदत्त हो ।

(सत्रह) "वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक" से अभिप्रेत है–

(क) लघु उद्योग के मामले में औद्योगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किये गये परीक्षण –उत्पादन से 30 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो भी पहले हो,

ख) रूपये 10 करोड तक स्थायी पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ग) रूपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु 100 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन तक बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(घ) रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो भी पहले हो,

(ड) रू. 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से एक वर्ष बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो,

3– ये निर्देश दिनांक 1 नवंबर 2004 से प्रभावशील होगें तथा दिनांक 01.11.2004 या उसके पश्चात् निष्पादित पट्टाभिलेखों को लागू होगें ।

4– वित्त विभाग की यू0ओ0 कमांक 720/बजट–5/चार/2005 दिनांक 26.04.2005 व्दारा इसकी सहमति प्रदान की गयी है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनुप श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ0क्रमांक एफ 20–95/04/ 11/6 रायपुर दिनांक

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके यू0ओ0 टीप क्रमांक 720/बजट–5/चार/2005 दिनांक 26.04.2005 के संदर्भ में ।

2– महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

सही

विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

"उपाबंध–1"

(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रकिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीकाफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रकिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7-5/रा0/सात-3/2005 रायपुर, दिनांक अप्रैल, 2005
प्रति,
8 APR 2005

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय:- औद्योगिकनीति के लिए उद्योग विभाग तथा सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अर्जन उपरांत भूमि आबंटन हेतु सेवा शुल्क।

औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट-4 बिन्दु क्रमांक 10 (क) के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को अवार्ड राशि के 10 प्रतिशत सेवा शुल्क के स्थान पर 5 प्रतिशत सेवा शुल्क लिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रकाशन राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा किया गया है।

2/- प्रकरण में वित्त विभाग ने अपनी टीप दिनांक 7-3-2005 द्वारा औद्योगिक नीति के अंतर्गत 2004-09 के प्रावधानों के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को अवार्ड राशि के 10 प्रतिशत सेवा शुल्क के स्थान पर 5 प्रतिशत दर से सेवा शुल्क लिए जाने की सहमति दी गई है।

3/- अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के तहत औद्योगिक प्रयोजन हेतु निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन के अवार्ड राशि के 5 प्रतिशत दर से सेवा शुल्क लिए जाने की अनुमति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(थेमिना टोप्पो)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

ADI (SIPB)
(separate copies)
SS (C&I)
11/4
7/3
13-4-05
700 / दिनांक 13/4/05

(5)

8 APR 2005

पृ०क्रमांक एफ-5/210/वाक-3/2005 रायपुर, दिनांक अप्रैल, 2005

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय की उनके ज्ञाप क्रमांक 191/2583/04/11/06 दिनांक 25.1.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

2/- अवर सचिव, छ०ग०शासन, वित्त विभाग को उनके पृ०क्रमांक 511 दिनांक 17.3.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

3/- उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय रायपुर

4/- प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

8/4/05